संख्या 1644/12-र्-2-78-14-3(1)/77(52)

प्रेषक,

( )

श्री राजा राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
श्री काशी जीव दया विस्तारनी गोशाला और पशुशाला,
वाराणसी।

पशुधन अनुभाग - 2- लखनऊ, दिनांक, मई 17, 1978

विषय :- लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अध्याप्त की गई भूमि के हस्तान्तरण हेतु धारा 44-ए के अधीन स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रत्यावेदन दिनांक 9-5-1977 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 44-ए के अधीन आपको निम्नलिखित 17·73 एकड़ भूमि को, जो आपको उक्त ऐक्ट के माध्यम से वर्ष 1958 में मिली थी, हरीश्चन्द्र विद्यालय, वाराणसी सोसाइटी" को स्थायी पट्टे पर हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दिया है :-

भूमि का विवरण

जिला	परगना	ग्राम	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल
वाराणसी	शिवपुर	बनियापुर	125/1	591 एकड़
			125/4	521 ,,
,,	,,	रजानडीहया	36/1	2955 ,,
,,	,,	,,	36/2	3655 ,,
			योग-	17730 ,,

20-5-78
1585

भवदीय,

(राजा राम)
उपसचिव।

संख्या :- 1644(1)/ बारह-र्-2-78-14-3(1)/77(52) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को डा० वी० एस० चौधरी, उपनिदेशक के अर्धशासकीय पत्र संख्या 6717/ मा० का०/73 दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 के संदर्भ में।

(2) मंत्री, हरिश्चन्द्र विद्यालय, वाराणसी।

आज्ञा से,

(राजा राम)
उपसचिव।

न्यायालय तहसीलदार सदर.वाराणसी ।

वाद संख्या 1616/473/474सन 1999 ई0

हरीश्चन्द्र विद्यालय मैदागिन.वाराणसी   बनाम   काशी जीवदया विस्तारनी जी गोशाला.पशुशाला.वाराणसी

अन्तर्गत धारा 34 भू0राजस्व अधिनियम
ग्राम बनियापुर तथा रजनहियाँ परगना शिवपुर
तहसील व जिला वाराणसी ।

<u>आदेश</u>

नामांतरण का यह वाद पंजीकृत पट्टा दिनांक 5-2-79 पर आधारित है.जिसके द्वारा पुराना भूमि नं0 125/1मि. रकबा 4-464 एयर जिसकी नयी खाता सं0 8 गाटा नं0 199क रकबा 4-464एयर स्थित ग्राम बनियापुर परगना शिवपुर वाराणसी तथा पुराना भूमि नं0 36/1.36/3.36/4 36/5.36/6 तथा 36/7 व 37/1व 37/2 जिसकी नयी खाता सं0 12 गाटा नं0 46क रकबा 0-045 एयर व 62 रकबा 0-085एयर व 63 रकबा 1-647एयर व 64 रकबा 0-093 एयर स्थित ग्राम रजनहियाँ परगना शिवपुर वाराणसी का पंजीकृत पट्टा श्री काशी जीवदया विस्तारनी जी गोशाला,व पशुशाला टाउनहाल,मैदागिन शहर वाराणसी बजरिये सेक्रेट्री काशीनाथ चौधरी व जनरल सेक्रेट्री प्रबन्धक समिति श्री पुरुषोत्तम दास मोदी ने बहक हरिश्चन्द्र विधालय मैदागिन वाराणसी बजरिये सेक्रेट्री श्री श्याममोहन अग्रवाल व अध्यक्ष श्री राय गोविन्द चन्द को प्राप्त हुआ है ।

बावजूद तामील घोषणा पत्र किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है । प्रार्थी ने प्रमाण में एक किता पंजीकृत पट्टा दिनांक 5-2-79,उद्धरण खतौनी बाबत सन् 1402लगायत 1407 फसली,आकार पत्र 41,शपथ पत्र बाबत कमी भूमि साढ़े बारह एकड़ दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त हासिया गवाह शान्ती स्वरूप का मौखिक साक्ष्य अंकित कराया गया है । उपरोक्त तथ्य में सायल ने शपथ पत्र दिया है कि उपरोक्त पट्टा जमींदारी विनाश अधिनियम कानून के धारा 156 के तहत कराया गया है । 156 के तहत निर्धारित प्राविधानो के अनुसार कराया गया है । मैने लैण्ड रेकार्ड मैनुअल के नियम क155क{2} का परिशीलन किया जिसमें रजिस्टर्ड पट्टे के आधार पर नामान्तरण करने का अधिकार तहसीलदार को है तथा इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उपरोक्त पंजीकृत पट्टे के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के अवलोकन से प्रार्थी के कब्जे व प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है ।तथा प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वाद नायब तहसीलदार शहर के न्यायालय से दोनो ग्रामो के वादो को मंगा कर आदेश पारित किया जाय । वाद सं0 473 ग्राम बनियापुर व वादसं0 474 ग्राम रजनहियाँ नायब तहसीलदार

शहर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर वाददर्ज रजिस्टर हुआ । दोनो ग्रामो का आदेश एक साथ पारित किया जाय ।

अतः खाता सं0 8 गाटा नं0 199क रकबा 4-464 एयर स्थित ग्राम बनियापुर परगना शिवपुर तथा खाता सं0 12 गाटा नं0 46क रकबा 0-645एयर व 62 रकबा 0-085 एयर व 63 रकबा 1-647एयर व 64 रकबा 0-093 एयर स्थित ग्राम रजनहियाँ परगना शिवपुर वाराणसी मालगुजारी परता खाता से नाम काशी जीवदया विस्तारिणी,गोशाला पशुशाला साकिन मुहल्ला कुतहीगली शहर वाराणसी खारिज होकर उनके स्थान पर हरिश्चन्द्र विद्यालय मैदागिन,वाराणसी बजरिए सेकेट्री श्रीश्याम मोहन अग्रवाल व अध्यक्ष श्री राय गोविन्दचन्द बतौर असंक्रमणीय भूमिधर श्रेणी §2§ अंकित हो । बाद-अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

तहसीलदार सदर,
वाराणसी ।

16.3-99

ATTESTED

Naib Thasildar